

(4)

# विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण पत्र

क्रमांक: ५३७२

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

-इसी के बारे में इसका (१)

(राज्य सरकार के अनुबंधित प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा) अथवा लक्षण (२)

उपभोक्ता/स्वामी का नाम *Raj Bahadur wif Raju*पिता/पति का नाम *S/o Nathu*पता *Vikhroli - Manpara Block Bharatnagar Haveli*

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली *२२०/२३० वोल्ट* इकाई एक वार्षिक की इकाई (१)(1) वोल्टता *२२० V.* | इस इकाई के बहुत सारे(2) कलाओं (फेजों) की संख्या *3 Ph* | इसी इकाई में एक-एक उक्तीस किंवद्दर की इकाई (२)(3) ए०सी० / बी०सी० *A / B* | इसी इकाई में एक-एक उक्तीस किंवद्दर की इकाई (३)वायरिंग का प्रयोजन *(CCTV) 12V DC* | इसी इकाई में एक-एक उक्तीस किंवद्दर की इकाई (४)

वायरिंग का प्रकार (बटन, कनड़यूट इत्यादि)

११ अप्रैल

संस्थापन की विशिष्टियाँ *इकाई की इकाई की इकाई*

क्रम संख्या	आइटम	इकाई (इकाई) प्रति इकाई की इकाई   २२०/२३० वोल्ट			४४०/४०० वोल्ट		उच्च अतिउच्च बोल्टता संस्थान
		फेज - 1	फेज - 2	फेज - 3	वोल्ट		
		संख्या	वाट	संख्या	वाट	संख्या	कुल क्षमता
1	बत्तियों के प्वाइंट	$2 \times 60 = 120$					
2	पंखों के प्वाइंट						
3	प्लग प्वाइंट						
4	मोटर / जनरेटर						
5	फ्रिंज						
6	कूलर एंड्राइप्ट						
7	टी०वी० एकी						
8	ए०सी० एकाई की						
9	ट्यूब लाइट						
योग		$120$				$5595$	

11. अन्य उपस्कर्ता (पूरा व्यौरा दिया जाए)

 $120 + 5595 = 5715 \text{ वाट का उपस्कर्ता}$ 

- प्राप्ति
- उपस्कर्ता

कुल संयोजित भार किलो वाट में— *5.7 kVA*  
 अधिकतम करेंट भाग एम्पियर में— *12 A*  
 (कुल संयोजित भार के आधार पर)

जेड० ए० इलेक्ट्रिक्स

सिनेमा रोड

हरदोई

लाईसेन्स संख्या ए०आ०५०-५८

बैधता का दिनांक—३१-०३-२०२४

(3)

## जोड० ए० इलेक्ट्रिकल्स

सिनेमा रोड , हरदोई  
 विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम  
 लाइसेन्स संख्या एव०आई० -५८  
 लाइसेन्स श्रेणी-ग  
 वैधता का दिनांक 31-03-2024

घोषणा  
 (उपभोक्ता द्वारा की जाय)

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
 For Z.A. Electrical  
 Proprietor

(मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिशद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित भार्ता  
 एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्राविधानों का अनुवालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार से किया गया है। मुख्य  
 पर्युज की अधिकतम क्षमता ..... ०८८ ..... एम्पीयर से अधिक नहीं हैं तथा संस्वापन में किसी  
 प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिशद लाइसेन्सी द्वारा अनुमति द्वारा प्राप्त होने पर  
 ही की जायेगी।

दिनांक ०९/१०/२०२३

उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर

## परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युत रोधी प्रतिरोधी का परिणाम

फेंज-१ व अर्थ

फेंज-२ व अर्थ

फेंज-३ व अर्थ

(1) फेंज एवं अर्थ के बीच-

फेंज-१ व अर्थ

फेंज-२ व अर्थ

फेंज-३ व अर्थ

(2) तार से बीच-

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर करने हेतु कृत कार्यवाही-

1.

2.

3.

4.

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता  
 का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

## विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक